भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 369

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

केंद्र-प्रायोजित योजनाएं

†369. श्री खलीलुर रहमानः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में पंचायतों के विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, उपयोग की गई और शेष बची हुई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पंचायतों के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों, वंचित वर्गों के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कोई विशिष्ट निधि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पंचायत, "स्थानीय स्व-शासन" होने के नाते, राज्य का विषय है। इसलिए, पंचायतों के विकास सहित सभी मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता करता है; इसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना और उनके कुशल कामकाज के लिए योजनाओं के तहत निरंतर आधार पर धनराशि उपलब्ध कराना भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष **2022-23** से 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) की केंद्र-प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक शिक्षण का पारिस्थितिकी तंत्र बना कर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता को बढ़ाना है। इसके तहत विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताएं विकसित कर सकें और पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। साथ ही, इसमें एक्सपोज़र दौरों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री तैयार करने में भी मदद दी जा रही है।

संशोधित आरजीएसए का स्वरूप मांग-आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं और व्यय की गति के आधार पर निधि जारी की जाती हैं। इन निधियों का उपयोग सिर्फ़ उन्हीं अनुमोदित घटकों के लिए किया जाना है जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राथमिकता दी है। मंत्रालय इस योजना के तहत सिर्फ़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ही निधियाँ जारी करता है।

पिछले पांच वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्र के हिस्से के रूप में 145.79 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इसमें से 182.02 करोड़ रुपये की धनराशि (जिसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष भी शामिल है) का उपयोग आरजीएसए और संशोधित आरजीएसए के तहत अनुमोदित गतिविधियों पर किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 25.00 लाख रुपये की धनराशि वापस कर दी गई है ।

आरजीएसए के तहत, सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए धनराशि जारी की जाती है । इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में धनराशि निर्धारित की जाती हैं।
